

से निर्धन लोगों की आश्रय स्थितियों को सुधारने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की कुछ योजनायें आरम्भ की हैं। ब्यौरे इस प्रकार है:—

(I) इन्दिरा आवास योजना:—यह योजना जवाहर रोजगार योजना का एक घटक है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्धन लोगों में से निर्धनतम लोगों एवं मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को मकानों के निर्माण के लिए सब्सिडी देना है। गत 5 वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय इस प्रकार है:

1987-88	167.70 करोड़ रुपये
1988-89	150.75 करोड़ रुपये
1989-90	175.86 करोड़ रुपये
1990-91	187.96 करोड़ रुपये
1991-92	263.62 करोड़ रुपये

(II) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आवास तथा आश्रय सुधार:—यह योजना आवास और आश्रय सुधार के माध्यम से और नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देकर शहरी रोजगार मुहैया करने के उद्देश्य से 89-90 में आरम्भ की गई थी। गत तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सब्सिडी नीचे दर्शायी गई है:—

1989-90	23.50 करोड़ रुपये
1990-91	34.04 करोड़ रुपये
1991-92	13.60 करोड़ रुपये

इस सब्सिडी का हुडको ऋण के साथ गठजोड़ किया गया है जिससे 7073.21 रिहायशी एककों का सुधार होगा।

(III) पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरे: शहरी पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरा/स्वच्छता सुविधायें प्रदान के उद्देश्य से यह योजना 88-89 में आरम्भ की गई थी।

1990-91 से 12237 में पटरी निवासियों को रैन बसेरा सुविधायें प्रदान करने के लिए कुल 86 योजनायें स्वीकृत की गई थी।

जहां तक हुडको की सहायता का संबंध है, हुडको द्वारा वार्षिक नियतन का लगभग 55 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए किया जाता है और इसके द्वारा स्वीकृत किए गए रिहायशी एककों का लगभग 90 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए होते हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, हुडको ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए निम्नलिखित ऋण/रिहायशी एकक स्वीकृत किए हैं:

वर्ष	आवास परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	ई० डब्ल्यू० एस/एल० आई० जी० के स्वीकृत रिहायशी एकक लिए स्वीकृत ऋण की प्रतिशतता	
1987-88	360.39	61 प्रतिशत	299125
1988-89	475.30	60 प्रतिशत	379714
1989-90	600.69	55 प्रतिशत	665485
1990-91	796.41	56 प्रतिशत	832830
1991-92	774.48	64 प्रतिशत	669905
1992-93	214.11	53 प्रतिशत	96862

(31.10.92 की स्थिति के अनुसार)

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों की बिगड़ी हालत

3972. डा० बापू कालदास: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे मकानों का स्तर गिरता जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और
(ग) बनाये जा रहे मकानों का स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रम० अरुणाचलसिंग): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों में विशिष्टियों के अनुरूप सामग्रियों का ही उपयोग किया जाता है और निर्माण कार्यों का फ्रील्ड स्टाफ तथा गुणवत्ता नियंत्रण डिविजन द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है।

Expenditure on advertisements

3973. SHRI MOHAMMED AFJAL alias MEEM AFZAL: will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what amount was spent by the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking on Advertisements during 1991-92; and

(b) what is the value of advertisements which has been given to the newspapers (language-wise) during the said period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Delhi Water Supply & Sewage Disposal Undertaking has reported that Rs. 53,03,373.92/- was spent on advertisements during 1991-92.

(b) i. English.. Rs. 26,36,848.20—
ii. Hindi .. Rs. 19,68,603.60—
iii. Urdu ... Rs. 5,11,281.70—
iv. Punjabi .. Rs. 1, 86,634.42/-

Self Immolation by Balmiki

3974. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the recent self-immolation attempt by an agitating Balmiki protesting against the indifference of the authorities concerned in removing the NDMC garbage truck workshop in the vicinity of the Mandir Marg Balmiki Temple; and

(b) if so, what action has been taken by Government in the matter to maintain the sanctity and dignity of the temple?

THE MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Yes, Sir. The Commissioner of Police has reported that a self-immolation attempt was made on 1.9.1992 in a public meeting at the place of Dharna.

The New Delhi Municipal Committee has reported that auto-workshop of N.D.M.C. has been functioning at its present site since 1957, if not earlier. Since the middle of eighties, a section of Balmikis has been suggesting the shifting of the workshop, a Civil Writ Petition decided by the Supreme Court of India in 1987 has directed N.D.M.C. to take steps except removal of workshop to maintain the sanctity and dignity of the place as it was in the vicinity of the Balmiki Temple. For this purpose, a number of measures have been taken in pursuance of the Supreme Court directive and the suggestions made by Balmikis and the area is kept clear.

मुम्बई में झुग्गी निवासियों को नागरिक सुविधाएं

3975. डा० बापू कालदाते: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई में केन्द्र सरकार की जमीन पर जिन लोगों ने झुगियां बना ली हैं, उन झुग्गी-निवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) केन्द्र सरकार की भूमि पर झुग्गी बासियों को जन सुविधाएं मुहैया करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। मुम्बई में विभिन्न केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा उनके स्वामित्व वाली भूमि पर बसे स्लमों के बारे में केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति यह है कि राज्य सरकार, हवाई अड्डों के रनवे के आस-पास पक्षियों से जोखिम उत्पन्न करने वाले स्लम, रेलवे लाइन से 30 फीट तक के भीतर बने हटमेंटों, रक्षा मंत्रालय की भूमि, जहां महत्वपूर्ण कार्यालय स्थापित किए जाने हैं और वह भूमि जो धू-स्वामित्व वाले विभागों द्वारा उनके तात्कालिक प्रयोग